# झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 39 वर्ष 20 22

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती अकली देवी, ग्राम - लिबड़ा, पो० - जोगा, थाना - ऊँटारी रोड, पलामू

DISPOSED
18/07/2022

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| | | |

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| | परिवादी श्रीमती सकरी देवी (राशन कार्ड सं0–202002608347), पिता–श्री कुंजल चौधरी, ग्राम–बिरजा, पो0–जोगा, थाना–ऊँटारी रोड, पलामू का परिवाद–पत्र आयोग द्वारा जारी व्हाट्सएप नं0 पर दिनांक–01.02.2022 को प्राप्त हुआ, जिसमें उनके डीलर श्री जगु चौधरी, लाइसेंस नं0–18 / 19 के विरूद्ध ई–पॉस मशीन में दो माह के लिए अंगूठा लगवाकर एक महीने का ही राशन दिये जाने की शिकायत की गयी है। साथ ही माह दिसम्बर–2021 का राशन एवं तेल अबतक नहीं दिये जाने का उल्लेख किया गया है।<br><br>आयोग के पत्रांक–WA/057/2022 दिनांक–01.02.2022 द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को 30 दिनों के अन्दर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया एवं इसकी प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को भेजी गई थी। इस संबंध में अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू के स्तर से कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को अप्राप्त है।<br><br>दिनांक–18.07.2022 को पूर्वाह्न 10:30 बजे परिसदन भवन, मेदिनीनगर में राज्य खाद्य आयोग द्वारा पलामू जिला के आयोग में विचाराधीन सभी वाद / अपीलवाद की सुनवाई किया जाना है। आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को प्रेषित ऐसे परिवाद पत्र जिनके निष्पादन की सूचना आयोग को प्राप्त नहीं है, की भी सुनवाई पलामू परिसदन में दिनांक–18.07.2022 को किया जाय। उक्त के क्रम में परिवादी, अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस किया जा चुका है।<br><br>अभिलेख 18.07.2022 को उपस्थापित करें।<br><br>(शबनम परवीन)<br>सदस्य,<br>झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,<br>राँची।<br><br>(हिमांशु शेखर चौधरी)<br>अध्यक्ष,<br>झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,<br>राँची। | |

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश.docx34

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 18.07.2022 | अभिलेख उपस्थापित। वाद सं0–39 / 2022 के मामले में आज दिनांक–18.07.2022 को परिसदन भवन, मेदिनीनगर, पलामू में सुनवाईं की गई। उभय पक्ष उपस्थित।<br>सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि राशन डीलर की मनमानी के खिलाफ पूर्व में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन डीलर की मनमानी नहीं रूकी। सुनवाई में उपस्थित अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि आयोग द्वारा भेजे गए पत्र के आलोक में दोनों पक्षों को सुनवाई के लिये दिनांक–28.07.2022 की तिथि निर्धारित की गई है। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू ने आयोग को आश्वस्त किया कि सुनवाई के दिन शिकायतकर्ता एवं अन्य उन सभी लोगों के शिकायत का निवारण कर दिया जायेगा।<br>सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू और सम्बन्धित पणन पदाधिकारी को सख्त हिदायत दी गई है कि भविष्य में यदि ऐसी शिकायत आयोग में दर्ज कराई गई तो आयोग मुआवजा के रूप. में अनाज का सवा गुणा राशि दिये जाने सम्बन्धी आदेश पारित करने को बाध्य होगा। आयोग द्वारा शिकायतकर्ता को आश्वस्त किया गया है कि एक माह के अन्दर उन्हें एवं उन सबका जिनका राशन में कटौती की गई है, उन्हें कटौती किये गये राशन सवा गुणा मुआवजा के साथ उपलब्ध करा दिया जायेगा।<br>"एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" के संदर्भ की जानकारी भी शिकायतकर्ता को नहीं है। ऐसे में आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को निर्देश देता है कि "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" के बारे में विशेष जागरूकता अभियान चलाएँ, ताकि लोगों को इस योजना की जानकारी प्राप्त हो सके।<br>अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को निर्देश दिया गया कि वे निर्धारित तिथि को निश्चित रूप से सम्यक् आदेश पारित कर उसकी प्रति आयोग को उपलब्ध कराएँगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू द्वारा पारित आदेश का अनुपालन 15 दिनों के अन्दर कर अनुपालन प्रतिवेदन आयोग में समर्पित करने का भी निदेश दिया गया।<br>प्रथम पक्ष अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू के द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर आयोग में अपील कर सकते हैं। साथ ही यदि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू के आदेश का अनुपालन ससमय नहीं किया जाए, तो इसकी सूचना आयोग को दें।<br>इस आशय के साथ इस मामले की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू के साथ–साथ उभय पक्ष को भेजें।<br><br>(शबनम परवीन)<br>सदस्या,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>(हिमांशु शेखर चौधरी)<br>अध्यक्ष,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>E:\Ziyaul\Vinod Sir\Chairman's visit\Palamu\Commission's order.docx1 | |